


मध्यप्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

आदेश

भोपाल दिनांक 15/7/2022

क्रमांक 1022/1545/2014/38-2 विभाग के आदेश क्रमांक 888/1545/2014/38-2 दिनांक 28/06/2022 द्वारा प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति संवर्ग के विद्यार्थियों को वर्ष 2022-23 में निःशुल्क प्रदान की जाने वाली पुस्तकों का चयन किए जाने हेतु समिति का गठन किया गया है। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए सरल क्रमांक 3 पर अंकित डॉ. प्रशांत पौराणिक, कुलसचिव, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के स्थान पर प्रो. अलकेश चतुर्वेदी, कुलसचिव, सांची बौद्ध विश्वविद्यालय, भोपाल को समिति का सदस्य नियुक्त किया जाता है। शेष आदेश यथावत रहेगा।

  
(वीरन सिंह भालवी)

अवर सचिव

म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग  
भोपाल दिनांक 15/7/2022

पृ. क्रमांक 1023/1545/2014/38-2

प्रतिलिपि:-

1. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजाति कार्य विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
  2. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
  3. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
  4. महालेखाकार, ग्वालियर मध्यप्रदेश।
  5. आयुक्त, कोष एवं लेखा, ग्वालियर।
  6. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
  7. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
  8. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
  9. संचालक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल की ओर इस आशय के साथ कि चयनित पुस्तकों का एक सेट तैयार कर समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।
  10. प्रो. अलकेश चतुर्वेदी, कुलसचिव, सांची बौद्ध विश्वविद्यालय, भोपाल।
  11. डॉ. प्रशांत पौराणिक, कुलसचिव, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
  12. गार्ड फाइल।
- .....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
अवर सचिव

म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग